कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 8170 / 12–1 देहरादून: दिनांक: 22 अप्रैल, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
उत्तराखण्ड, शासन,
वन अनुभाग–03

विषय:–जनपद टिहरी गढ़वाल में घनसाली पुलिस चौकी के निर्माण हेतु 0.2 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु गृह विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:–अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 416/X-4-16/01(118)/2016 दिनांक 20–07–2016।

महोदय,

कृपया वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग के माध्यम से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है:–

क्र0 सं0	शर्त	अनुपालन
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक देय धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु0 8,17,300.00 जमा की गई है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की राशि जमा की जायेगी।	1. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 1,31,400.00 जमा की गई है। 2. इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एवं पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित दरों के तहत रू0 69,642.00 की अतिरिक्त धनराशि जमा की जा चुकी है। **(चालान की प्रति संलग्न)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्ष स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में यदि बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने बावत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 10,18,342.00 जमा करने की ऑनलाईन रसीद की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**

	2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन–लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकास कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन प्रक्रिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑन लाईन अपलोड करेगा जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत् स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन लाईन हार्ड कापी प्रेषित किया जायेगा।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपाल किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से पालन किये जाने का प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।**(संलग्नक–4)**
6	प्रयोता एजेंस के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–5)**
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में सभी निहित निर्धारित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–6)**

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

संख्या 2170 / 17-2 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को उनके पत्रांक 120/12–1 दिनांक 14.07.2021 एवं पत्रांक 2030/12–1 दिनांक 19.03.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण